न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1065/2026

(CNR No. UPET010037622026)

श्रीमती रामलली उम्र करीब 65 वर्ष पत्नी अमर सिंह, निवासी 606 द्वारिकापुरी, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा। ----आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

वाद संख्या–389/2014
धारा–420 भा०द०सं०
थाना–कोतवाली नगर, जिला एटा।

20.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता **श्रीमती रामलली** की ओर से वाद संख्या–**389/2014** धारा–**420 भा०द०सं०,** थाना **कोतवाली नगर**, जिला **एटा** के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी सरोज ने दिनांक 14.10.2011 को वही संख्या 01, जिल्द संख्या 1415 पृष्ठ संख्या 363 से 400 पर क्रमांक 10908 श्रीमती राममली से मु० 70,000/– रुपये देकर गाटा संख्या 748 में एक किता प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 101.83 वर्ग मीटर का बैनामा कराया था। उपरोक्त विक्रेता श्रीमती रामलली ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके गाटा संख्या 745 की फर्जी गलत सीमाएं दर्शाकर फर्जी बैनामा कर दिया है और परिवादिनी को दूसरे नंबर 745 में अवैध गलत कब्जा दिला दिया। दिनांक 22.07.2014 को गाटा संख्या 745 के मालिक ने परिवादिनी का कब्जा से बेदखल कर दिया कि इस जगह 748 गाटा संख्या नहीं है। तब वादिनी को ज्ञात हुआ कि उससे धोखाधड़ी व छल फरेब से रूपये हड़पने की नीयत से फर्जी बैनामा कर दिया है। बैनामा समय रमेन्द्र चन्द्र व अनिल कुमार मौजूद थे, जिन्होंने बैनामा में गवाही की है। उपरोक्त रामलली ने वादिनी के साथ धोखाधड़ी व छल फरेब करके फर्जी बैनामा कर बदनीयती से 70,000/– रुपये हड़प लिये है क्योंकि जो प्लॉट रामलली ने बैनामा में दर्शाया है। वह 748 गाटा संख्या म न होकर 745 संख्या में स्थिति है। वादिनी बहुत बड़ी क्षति हुई है।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदिका निर्दोष है। उसे झूठा फँसाया गया है। उक्त मामला प्रोपर्टी और सीमाओं से

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.06.20 12:33:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बन्धित है, कोई फर्जी फिकेशन नहीं हुआ है, अगर उक्त प्लॉट की सीमाओं का कोई विवाद है, तो वादिनी को सिविल कोर्ट में जाने का पूर्ण अधिकार था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदिका/अभियक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

चूंकि मामला परिवाद पर आधारित है, जिसमें आवेदिका/अभियुक्ता को एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदिका के आपराधिक इतिहास होने के सम्बन्ध में थाने से आख्या प्राप्त नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस न्यायालय की राय में आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त का अग्रिम जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **श्रीमती रामलली** का अग्रिम जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदिका/अभियुक्ता अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगी।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानते व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 20.06.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।